राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

एकलपीठ कंपनी याचिका संख्या 12/1987

कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शील्ड शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-23, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री गौरव शर्मा सारस्वत, सलाहकार।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अनंत कासलीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री चारू पारीक, डॉ. दिवाकर चोपड़ा, श्री रवींद्र पाल सिंह और श्री अनुरूप सिंघी, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

<u>रिपोर्टेबल</u>

24/11/2022

1. मामला शासकीय परिसमापक द्वारा दायर की गई रिपोर्ट संख्या 11017 दिनांक 10.02.2021 और शेयरधारक/अंशदायी स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर आपत्तियों से संबंधित है।

2. शासकीय परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 में मेसर्स शील्ड शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने का तथ्य बताया है, (परिसमापन में कंपनी) एकलपीठ में कंपनी याचिका संख्या 12/1987 में पारित आदेश दिनांक 12.05.1989 को देखें, यह बताया गया है कि इस न्यायालय ने 07.07.2020 को शासकीय परिसमापक को कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के फॉर्म संख्या 91 में विज्ञापन जारी करने और शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में, शासकीय

परिसमापक ने 02.09.2020 को शेयरधारकों की बैठक आयोजित की और शेयरधारकों-पाहवा परिवार की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. शासकीय परिसमापक ने प्रार्थना की है कि यह न्यायालय पाहवा परिवार और स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा के विधिक प्रतिनिधियों को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अनुसार अपेक्षित राशि के गैर-स्टांप पेपर पर विधिवत निष्पादित अलग पावर ऑफ अटॉर्नी और मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ-साथ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करने का निर्देश दे। क्योंकि ये शासकीय परिसमापक द्वारा अनिवार्य रूप से आपेक्षित हैं और न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही, शासकीय परिसमापक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, और उसके तहत तैयार किए गए नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की स्थिति में होगा।

4. मामले पर 31.03.2022 को विचार किया गया था और शासकीय परिसमापक की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने बताया कि शेयरधारक/अंशधारक के परिवार के सदस्यों ने क्षतिपूर्ति बांड, पावर ऑफ अटॉर्नी और मूल शेयर प्रमाणपत्र के खोने के संबंध में एक शपथ-पत्र जमा किया था, हालांकि, जैसा कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के अनुसार, यदि मृतक अंशधारक को 500/- रुपये से अधिक का लाभांश देना आवश्यक है, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक है। उस दिन, अंशधारक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनंत कासलीवाल ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने रिपोर्ट पर उत्तर और आपत्तियां दायर की हैं और अनुरोध किया है कि इस न्यायालय के पास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दाखिल करने से छूट के लिए, न्याय सुनिश्चित करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्ति है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्तमान मामला एक दुर्लभ मामला है जहां अधिशेष निधि उपलब्ध है और इस तरह प्रमोटर के विधिक प्रतिनिधि अपना पैसा पाने के पात्र हैं।

5. इस न्यायालय ने, पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत शक्ति का सहारा लेने के मुद्दे को संबोधित करने और इस पर विचार करने के लिए समय दिया कि क्या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अभाव में, न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

6. मूल शेयरधारक/अंशधारक के विधिक प्रतिनिधियों ने शासकीय परिसमापक द्वारा

दायर रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज की हैं और प्रस्तुत किया है कि दिनांक 02.09.2020 की बैठक में, शेयरधारकों के विधिक प्रतिनिधियों के अधिवक्ता ने श्री एफ.सी.पाहवा का प्राधिकार पत्र के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जो परिसमापन की सभी कार्यवाही के संबंध में अरविंद पाहवा के पक्ष में निष्पादित था।

7. विधिक प्रतिनिधियों ने आपत्तियों में प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा और श्रीमती सुषमा पाहवा के अन्य विधिक प्रतिनिधियों के विधिक प्रतिनिधि और अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अरविंद पाहवा द्वारा जारी की गई सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, सभी विधिक प्रतिनिधियों के बैंक खातों का विवरण, अनिल पाहवा का मृत्यु प्रमाणपत्र और पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों द्वारा स्वीकृति के संबंध में शपथ-पत्र, शासकीय परिसमापक के समक्ष रखे गए थे।

8. विधिक प्रतिनिधियों ने आपत्तियों में प्रस्तुत किया कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 280 शासकीय परिसमापक को मृत शेयरधारक/अंशदायी के मामले में न्यायालय की मंजूरी के साथ शेयर प्रमाणपत्र या जैसे प्राधिकार जमा करने से छूट देने की शक्ति प्रदान करता है, और यह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए शेयरधारक/अंशदायी के विधिक प्रतिनिधियों पर कोई दायित्व नहीं डालता है।

9. विधिक प्रतिनिधियों ने आपत्तियों में एक विशिष्ट दलील दी कि कंपनी 32 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन में है और शासकीय परिसमापक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का सहारा लेने के लिए कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत एक आवेदन करना चाहिए था, को और शासकीय परिसमापक को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी विधिक प्रतिनिधियों के दावों के भुगतान की अनुमति देने के लिए पर्याप्त प्राधिकारी के रूप में क्षतिपूर्ति बांड और विधिवत शपथ-पत्र स्वीकार करना चाहिए।

10. विधिक प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियों में प्रार्थना की कि यह न्यायालय शासकीय परिसमापक को शेयरधारक/अंशधारक के विधिक प्रतिनिधियों के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दाखिल करने से छूट देने शेयरधारक/अंशदायी के क्षतिपूर्ति बांड को स्वीकार करें; और श्रीमती सुषमा पाहवा और स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा के सभी विधिक प्रतिनिधियों को पूंजी की वापसी के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दे सकता है।

11. शासकीय परिसमापक श्री गौरव सारस्वत शर्मा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

11क. शासकीय परिसमापक केवल कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के अनुसार कार्य कर सकता है और उक्त नियम के अनुसार, यदि मृत लेनदार का देय लाभांश या मृतक अंशदायी को पूंजी की वापसी का 500/- रुपये या उससे कम का दावा है, तो शासकीय परिसमापक, लाभांश या रिटर्न प्राप्त करने के दावेदार के अधिकार और हक के बारे में खुद को संतुष्ट करने पर, जैसा भी मामला हो, मंजूरी के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना दावेदार को ऐसे लाभांश का भुगतान या वापसी न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

11ख. मामले के वर्तमान तथ्यों में, मूल शेयरधारक/अंशधारक के विधिक प्रतिनिधियों का 500/- रुपये से अधिक का दावा है और उनके द्वारा शासकीय परिसमापक के समक्ष कोई उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अत: शासकीय परिसमापक द्वारा विधिक प्रतिनिधियों के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

11ग. मूल शेयरधारक/अंशदायी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने पैसे की अपेक्षित वापसी प्राप्त करने के लिए उठाई गई आपत्ति को केवल कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के अनुसार निपटाया जा सकता है।

11घ. कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत प्रदान की गई न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को इस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मृत ऋणदाता/अंशदायी को देय लाभांश का भुगतान या पूंजी की वापसी के संबंध में कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान है।

11ङ•. कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 9 ऐसी भाषा में दिया गया है जहां न्यायालय निर्देश जारी करके या आदेश पारित करके अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।

11च. यदि मूल शेयरधारक/अंशदायी के विधिक प्रतिनिधियों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है तो न तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है और न ही न्याय का उद्देश्य विफल होगा।

11छ. मूल शेयरधारक/अंशधारक के विधिक प्रतिनिधियों की प्रार्थना/आपत्तियों को स्वीकार करना किसी काम को अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति देने जैसा होगा क्योंकि वही काम सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है।

12. शासकीय परिसमापक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:-

क) **किशोर वी. पटेल एवं अन्य बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (1994) 79 कंपनी मामले 53 (बीओएम)** में रिपोर्ट किया गया।

ख) **मेयटास प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड बनाम श्री कृष्ण किलारू और श्रीमती श्रीलता किलारू ने (2014) 183 कंपनी मामले 569 (एपी)** में रिपोर्ट किया गया।

ग) **जिंदल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड और अन्य (2015) 190 कंपनी मामले 292 (राजस्थान**) में रिपोर्ट किया गया।

घ) **श्री हरि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम दीपक वेजप्रो पी.लि. एवं अन्य (2016)** में रिपोर्ट **किए गए 196 कंपनी मामले 125 (कैलोरी)** में रिपोर्ट किया गया।

ङ) **एस.के.जैन बनाम सुदर्शन चिट्स (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन में) (2016) में 196 कंपनी मामले 327 (केरल**) में रिपोर्ट किया गया।

च) **राम चंद एंड संस शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कन्हया लाल भार्गव एवं अन्य एआईआर 1966 एससी 1899** में रिपोर्ट किया गया।

छ) **जयपुर खनिज विकास सिंडिकेट, जयपुर बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली ने (1977) 1 एससीसी 508** में रिपोर्ट किया गया।

ज) **के.के.वेलुसामी बनाम एन.पलानीसामी ने (2011) 11 एससीसी 275** में रिपोर्ट किया गया।

झ) **वियुम्मा और अन्य बनाम शासकीय परिसमापक (1999) 98 कंपनी मामले 571 (केरल)** में रिपोर्ट किया गया।

ञ) **पुन: हरिगंगा अलॉयज स्टील लिमिटेड (परिसमापन में) एवं अन्य आदि (2009) 151 कंपनी मामले 405 (बीओएम)** में रिपोर्ट किया गया।

13. इसके विपरीत, मूल शेयरधारक/अंशधारक के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनंत कासलीवाल ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

13क. मृत लेनदार/अंशदायी के दावे को निपटाने के लिए शासकीय परिसमापक को दी गई शक्ति केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर निर्भर नहीं है और लाभांश या रिटर्न प्राप्त करने के लिए दावेदार के अधिकार और हक की जांच उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अभाव में की जा सकती है और वर्तमान मामले में, शासकीय परिसमापक ने अकेले "उत्तराधिकार प्रमाणपत्र" शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन यदि मृत ऋणदाता/अंशदायी के विधिक प्रतिनिधियों के पास "समान अधिकार" भी उपलब्ध है, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अभाव में, शासकीय परिसमापक द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

13ख. कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 बनाते समय विधायिका द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना 500/- रुपये तक के दावे के निपटान की बाहरी सीमा निर्धारित करने की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और विधायिका ने जानबूझकर कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के 280 नियम इसमें "वैसी ही शक्ति" शब्दों का उपयोग किया है और विधायिका अपने विवेक से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने की कठिनाई पर विचार कर रही थी और तदनुसार, भुगतान को केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर निर्भर नहीं किया गया है।

13ग. विधायिका ने अधिनियम बनाने में यदि किसी शब्द का प्रयोग किया है तो उसका अर्थ और उद्देश्य होता है और विधान का कोई भी शब्द अनावश्यक या अर्थहीन नहीं होता।

13घ. कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 ने न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की है और भले ही कोई विशिष्ट नियम है जो न्यायालय की शक्तियों को सीमित या प्रभावित करता है, न्याय

सुनिश्चित करने या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ऐसे निर्देश या ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो आवश्यक हों।

13ङ• हालाँकि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 280 स्वयं मृतक अंशदाता के विधिक प्रतिनिधियों को पात्रता के बारे में कोई अन्य मूल्यवान और आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करके अधिकार की एक खिड़की प्रदान करता है और भले ही "समान प्राधिकारी" शब्द की व्याख्या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के समान न की गई हो फिर भी यह न्यायालय कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत हमेशा मृत शेयरधारक/अंशधारक के विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में निधि जारी करने के निर्देश दे सकता है।

13च. मूल अंशदाता की मृत्यु के बारे में तथ्य रिकॉर्ड में आ गया है और उनके एक बेटे की भी मृत्यु हो गई है और शेयरधारकों में से एक यानी स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा की पत्नी लगभग 90 वर्ष की हैं और इस प्रकार, कंपनी जो बंद हो गई है वर्ष 1987, यदि कुछ अधिशेष राशि है, तो सुरक्षित लेनदारों के दावे को स्थापित करने के बाद, विधिक प्रतिनिधियों का अधिकार केवल अपेक्षित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण पराजित नहीं किया जाना चाहिए।

13छ. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करना कोई मंत्रिस्तरीय कार्य या कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है जो सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करना एक लंबी और बोझिल प्रक्रिया है और वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, अधिक उम्र वाले लोगों के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना और उचित समय में इसे प्राप्त करना असंभव होगा।

13ज. यदि सही व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति बांड और अन्य अपेक्षित हलफनामे दायर किए गए हैं और शासकीय परिसमापक को कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है, यदि कोई दावा फर्जी पाया जाता है या किसी पात्रता पर संदेह है, तो ऐसी स्थिति

में, शासकीय परिसमापक को राशि वसूलने की शक्ति निहित है और इस तरह मृतक अंशदाता के विधिक प्रतिनिधियों का सही दावा केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।

14. मृतक अंशदाता के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा जताया है:-

क) **शासकीय परिसमापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता बनाम आयकर अधिकारी, "के" वार्ड, कंपनी जिला-III और अन्य (1981) 51 कंपनी मामले 572** में रिपोर्ट किया गया।

ख) **ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड: (परिसमापन में) (1983) 54 कंपनी मामले 277** में रिपोर्ट किया गया।

ग) **राय मथुरा प्रसाद बनाम हनुमान प्रसाद भगत एवं अन्य (1984) 56 कंपनी मामले 467** में रिपोर्ट किया गया।

घ) **एल. आर.एम. के. नारायणन एवं अन्य बनाम पुदुथोतम एस्टेट्स लिमिटेड और अन्य (1992) 74 कंपनी मामले 30** में रिपोर्ट किया गया।

ङ) **एक्शन इस्पात एवं पावर प्रा. लिमिटेड बनाम श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य [को.ऐप. 11/2019 एवं सी.एम.नं.31047/2019, सी.एम.नं.34726/2019]** पर 10.10.2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया।

15. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

16. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 और 280 को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा:-

> "**9. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ. -** इन नियमों में कुछ भी ऐसे निर्देश देने या ऐसे आदेश पारित करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
>
> **280. मृत लेनदार या अंशदायी को देय लाभांश का भुगतान या पूंजी की**

वापसी।- जहां किसी मृत लेनदार को देय लाभांश या मृत अंशदायी के कारण पूंजी की वापसी के संबंध में किया गया दावा रुपये 500 या उससे कम है, शासकीय परिसमापक, लाभांश या रिटर्न प्राप्त करने के दावेदार के अधिकार और हक के बारे में खुद को संतुष्ट करने पर, ऐसे लाभांश के भुगतान को मंजूरी देने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या समान प्राधिकारी को प्रस्तुत किए बिना दावेदार को वापस कर सकता है। जहां कोर्ट भुगतान की मंजूरी देता है। शासकीय परिसमापक आदाता से व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने पर भुगतान करेगा।

17. यह न्यायालय, कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के अवलोकन पर पाता है कि यदि शासकीय परिसमापक को मृत लेनदार का देय लाभांश या मृत अंशदायी का देय पूंजी की वापसी के संबंध में दावा प्राप्त होता है और उक्त दावा 500/- रुपये या उससे कम तक है, तो शासकीय परिसमापक, जैसा भी मामला हो, लाभांश या पूंजी की वापसी प्राप्त करने के दावेदार के अधिकार और हक के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकता है, और वह ऐसे भुगतान की मंजूरी के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या समान प्राधिकारी प्रस्तुत किए बिना दावेदार को लाभांश या वापसी कर सकता है और यदि न्यायालय भुगतान को मंजूरी देता है, तो शासकीय परिसमापक भुगतानकर्ता से व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने पर भुगतान करेगा।

18. यह न्यायालय पाता है कि यदि किसी मृत लेनदार का दावा किसी दावेदार द्वारा खुद को उसका विधिक प्रतिनिधि दिखाते हुए किया जाता है, तो शासकीय परिसमापक को दावेदार के अधिकार और लाभांश प्राप्त करने के अधिकार और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या समान अधिकार के आग्रह के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा जो उसने नहीं दिया है, यदि दावा 500/- रुपये या उससे कम का है।

19. इस न्यायालय ने पाया कि शासकीय परिसमापक को दी गई शक्ति दावेदार के अधिकार और हक पर उसकी पात्रता के अनुसार विचार करने के उद्देश्य से है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि दावेदार मृतक लेनदार की ओर से लाभांश प्राप्त करने के लिए सही मालिक है या मृत लेनदार को देय पूंजी की वापसी और इस प्रकार, उत्तराधिकार

प्रमाणपत्र या समान प्राधिकारी को एक सही व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाता है।

20. इस न्यायालय ने पाया कि शब्द "समान प्राधिकारी" जिसका उपयोग कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 में किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज है जो उसे देय लाभांश या पूंजी की वापसी प्राप्त करने का अधिकार देता है। एक मृत लेनदार के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है और यह केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के उत्पादन पर निर्भर नहीं है। "समान प्राधिकारी" शब्द का प्रयोग विधायिका द्वारा किया गया था और दावेदार के अधिकार को उसके पक्ष में उचित दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित रखा गया है और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सभी दावों में लागू नहीं किया गया है, लेकिन कानून की नजर में समान महत्व वाले अन्य दस्तावेज हो सकते हैं, जिन्हें शासकीय परिसमापक के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. इस न्यायालय का मानना है कि यदि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 की व्याख्या इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तरीके से की जाए तो 500/- रुपये से अधिक के दावे के संबंध में केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के उत्पादन पर जोर देने की सीमा तक, तो कई दावेदारों का दावा विफल हो जाएगा और यहां तक कि अधिमानी दावे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए के तहत प्रदान किया गया है, अपना बकाया प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

22. इस न्यायालय ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए किसी कंपनी को बंद करने में विभिन्न ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता प्रदान करती है और श्रमिकों के बकाया को पहली प्राथमिकता पर रखा जाता है, उसके बाद सुरक्षित लेनदारों को बकाया भुगतान किया जाता है। यह न्यायालय, यदि शासकीय परिसमापक के अधिवक्ता द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करता है, तो यह पाता है कि मृत कामगार के दावे के लिए, यदि यह 500/- रुपये से अधिक है, तो दावेदारों यानी उस कामगार के विधिक प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद ही उसका बकाया भुगतान किया जाएगा। इस तरह की व्याख्या, जैसा कि शासकीय परिसमापक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में उस उद्देश्य को नकार देगी जिसके

लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए अधिनियमित की गई है, जो अधिमानी भुगतान का प्रावधान करती है।

23. यह न्यायालय आगे पाता है कि इसी तरह अन्य मामलों में जहां कंपनी बंद हो गई है और सुरक्षित लेनदारों के दावे का निपटारा करने के बाद, यदि मृत लेनदारों के विधिक प्रतिनिधियों को अधिशेष राशि से कुछ वापस किया जाता है, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है, यह कठोर शर्त होगी। इस न्यायालय ने, वर्तमान मामले के तथ्यों में पाया है कि मूल अंशधारक में से एक स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा की 2014 में मृत्यु हो गई है और उनके एक बेटे अनिल पाहवा की भी मृत्यु हो गई है और अब स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा के विधिक प्रतिनिधि यानी उनकी पत्नी जो लगभग 90 वर्ष की आयु के व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तो यह न्याय का मखौल होगा।

24. यह न्यायालय आगे पाता है कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 को भी कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है।

25. यह न्यायालय पाता है कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 की धारा 9 के तहत, न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 में प्रदान किए गए किसी भी नियम की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए एक ऐसा तरीका जो न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करता है। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के प्रारंभिक शब्दों में कहा गया है कि यह एक "अप्रत्याशित खंड" है और इसकी व्याख्या कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के तहत प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों के साथ उदारतापूर्वक की जानी चाहिए और इसकी इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती कि मृतक अंशदाता के दावे पर विचार करने का उद्देश्य ही विफल हो जाए।

26. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक आदेश जारी करना नहीं है या यह केवल एक अनुसचीवीय कार्य है जिसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाना है।

27. इस न्यायालय को यह कहना गलत नहीं समझा जा सकता है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का मृतक अंशदाता के कारण लाभांश या पूंजी की वापसी के लिए दावेदार के किसी भी अधिकार या अधिकार का दावा करने के लिए कोई अर्थ या अधिकार नहीं है, हालांकि, नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने यह प्रदान किया है कि न केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र लेकिन "समान प्राधिकार" भी लाभांश के भुगतान या पूंजी की वापसी के लिए प्रासंगिक हो सकता है और इस तरह शासकीय परिसमापक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या समान प्राधिकार के प्रस्तुती के बिना 500/- रुपये या उससे कम तक के दावे का निपटान करने की शक्ति दी गई है।

28. अगला मुद्दा शासकीय परिसमापक द्वारा किए जाने वाले भुगतान को मंजूरी देने की इस न्यायालय की शक्ति को लागू करने के संबंध में है और साथ ही, न्यायालय को कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि जब किसी क़ानून में कोई विशिष्ट प्रावधान होता है और उक्त क़ानून में अंतर्निहित शक्ति भी दी जाती है, तो ऐसी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग दोनों खंडों के सामंजस्यपूर्ण सहयोग द्वारा किया जाना आवश्यक है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का यह अर्थ कहीं नहीं है कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया जा सकता है, तथापि, न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए दोनों शक्तियों की व्याख्या करके उद्देश्यपूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।

29. इस न्यायालय ने पाया कि एक ओर शासकीय परिसमापक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आग्रह के बिना दावेदारों के 500/- रुपये तक के दावे का निपटान करने की शक्ति दी गई है और दूसरी ओर यदि दावेदार 500/- रुपये से अधिक का दावा करता है, तो दावे पर विचार करने से पहले शासकीय परिसमापक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का आग्रह किया जाना है। इस न्यायालय ने पाया कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 की ऐसी व्याख्या वास्तव में उस उद्देश्य को विफल कर देगी जिसके लिए दावेदारों के दावे को निपटाने की शक्ति दी गई है और केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण, दावेदार को उसका उचित भुगतान पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

30. इस न्यायालय ने पाया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एलआर के माध्यम से **एम.कृष्णमूर्ति बनाम मेसर्स आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड के शासकीय परिसमापक [सी.ए.नं.969/2009]** के मामले में, दिनांक 16.12.2009 के आदेश के तहत कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिनिर्धारित किया कि न्याय तभी मिलेगा जब मृत कामगार के विधिक उत्तराधिकारियों पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए दबाव न डाला जाए और इसके प्रस्तुतीकरण को खत्म कर दिया जाए और सभी विधिक उत्तराधिकारियों के उत्तरजीविता प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए। दिनांक 16.12.2009 के आदेश का प्रभावी भाग यहां तत्काल संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, दलीलों पर गौर करने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मृतक लेनदार का देय लाभांश, यदि रुपये 500/- या उससे कम है, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना विधिक प्रतिनिधियों को दिया जा सकता है, लेकिन प्राप्त करने पर भुगतानकर्ता की ओर से एक व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति देनी होगी। हालाँकि, नियमों के नियम 9 में इस न्यायालय को न्याय प्रयोजन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक एक श्रमिक था, जिसकी मजदूरी का दावा कई वर्षों से लंबित है और शासकीय परिसमापक ने दावे पर निर्णय लेने के बाद श्रमिक को देय लाभांश के रूप में 70,131/- रुपये निर्धारित किए, इस तथ्य के साथ कि मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों ने क्षेत्राधिकार वाले तहसीलदार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि न्याय का उद्देश्य दावेदारों पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जोर न देकर, बल्कि इसे प्रस्तुत करने से दूर रहने और उत्तरजीविता स्वीकार करने से पूरा होगा। नियमों के नियम 9 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहले आवेदक को उक्त राशि के भुगतान पर सभी आवेदकों का एक व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति देना होगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है।"

31. इस न्यायालय ने पाया कि **श्रीमती लक्ष्मम्मा और अन्य बनाम मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड [ओएसए संख्या 41/2013]** के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23.01.2014 को निर्णय लिया कि सक्षम तहसीलदार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के बाद कर्मचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों को दावा देने के मुद्दे पर विचार किया गया है और क्षतिपूर्ति लेने के बाद उनके बकाया का निपटान किया गया है। गहरा संबंध। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दावेदारों को सिविल कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता है। दिनांक 23.01.2014 के आदेश का प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "5. रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रथम अपीलार्थी के पति और अपीलार्थी 2 के पिता, स्वर्गीय बी.एच.करिबासप्पा मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड के कर्मचारी थे। उक्त कंपनी को इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01-04-2004 द्वारा बंद करने का आदेश दिया था। उक्त बी.एच.करिबासप्पा की 21 नवंबर 2011 को मृत्यु हो गई। शासकीय परिसमापक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में लेनदारों और कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए, अपीलार्थियों ने तहसीलदार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाणपत्र और एक क्षतिपूर्ति बांड के साथ दावा याचिका दायर की। हालाँकि, उक्त दावा याचिका पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थियों द्वारा उनके आवेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने के लिए दायर कंपनी आवेदन को कंपनी न्यायाधीश ने केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे मृतक करिबासप्पा के विधिक प्रतिनिधि हैं, और सक्षम प्राधिकारी से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं है। प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलता है कि मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड के समापन के मद्देनजर, उक्त कंपनी में काम करने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने दावा याचिकाएं दायर की थीं। इस बीच कुछ कर्मचारियों की मौत हो गयी, चूंकि शासकीय परिसमापक दावा याचिका पर विचार करने में विफल रहा, इसलिए अपीलार्थियों ने इस न्यायालय से संपर्क कर शासकीय परिसमापक को उनके दावे पर विचार करने के लिए निर्देश देने

की मांग की है। इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में शासकीय परिसमापक को सक्षम तहसीलदार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के बाद कर्मचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने और क्षतिपूर्ति बांड लेकर उनके बकाया का भुगतान करने का निर्देश जारी किया। 14 फरवरी 2013 को निस्तारित कंपनी आवेदन क्रमांक 1415/2012 में भी इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया है। हमारी राय है कि अपीलार्थियों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता है। बड़ी संख्या में मामलों में, शासकीय परिसमापक ने सक्षम तहसीलदार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाणपत्र को स्वीकार करने और आवेदकों से क्षतिपूर्ति बांड लेने पर बकाया राशि का निपटान किया है। इसलिए, हमारी राय है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शासकीय परिसमापक को भी इसी तरह का निर्देश जारी किया जा सकता है। तदनुसार, हम निम्नलिखित पारित करते हैं:

आदेश

अपील स्वीकार की जाती है. सीए संख्या 1417/2012 में किये गये आदेश दिनांक 22-4-2013 को निरस्त किया जाता है। शासकीय परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थियों के दावे को निपटाने के लिए उनके आवेदन पर विचार करें, सक्षम तहसीलदार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाणपत्र को स्वीकार करें और उनसे यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करें।

32. इस न्यायालय ने पाया कि गुजरात उच्च न्यायालय के मामले में **ओ.एल. गुजरात रबर वर्क्स लिमिटेड (परिसमापन में) और अन्य [कंपनी याचिका संख्या 62/1985 और शासकीय परिसमापक रिपोर्ट संख्या 139/2013]** आदि की 20.02.2014 को निर्णय लिया गया है और शासकीय परिसमापक को नियम के कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के 280 के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए जोर दिए बिना और मृत श्रमिकों के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति बांड-सह-शपथ-पत्र दाखिल करने के बाद भुगतान करने की

अनुमति भी दी गई है, दिनांक 20.02.2014 के आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थना की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 यूनियन को उचित साक्ष्य दाखिल करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि शासकीय परिसमापक को उचित सत्यापन के बाद ही व्यक्तिगत श्रमिकों को भुगतान करने की अनुमति है, शासकीय परिसमापक को कंपनी (न्यायालय) के नियम, 1959 के नियम 280 के तहत भुगतान करने की अनुमति है बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए जोर दिए और ऐसे श्रमिकों के विधिक उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड-सह-शपथ-पत्र दाखिल करना आवश्यक है।

33. इस न्यायालय ने पाया कि शासकीय परिसमापक की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने **हरिगंगा अलॉयज स्टील लिमिटेड (परिसमापन में) और अन्य आदि [कंपनी याचिका संख्या 6/1999 और कंपनी आवेदन संख्या 105-115/2008] के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।** जिस पर 24.10.2008 को निर्णय लिया गया, जिसके तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के दायरे पर विचार किया और पाया कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रावधानों के तहत एक है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और "समान प्राधिकार" शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से सभी संभावित प्रतिद्वंद्वी दावेदारों या विधिक उत्तराधिकारियों को दावे की सूचना के बाद समान सक्षम मंच द्वारा दिए गए भुगतान प्राप्त करने का प्राधिकारी होगा और ऐसा प्राधिकारी से होना जिसे अन्य मंचों से होना चाहिए जिसे को कुछ क़ानूनों द्वारा उस संबंध में अधिकार क्षेत्र दिया गया है और इस तरह, "समान प्राधिकारी" किसी भी तरह से कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 280 के प्रावधानों को कमजोर नहीं करते हैं, बल्कि केवल उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए एक विकल्प प्रदान करते हैं यदि ऐसा कोई विकल्प विधिक तौर पर उपलब्ध है।

34. यह न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में, यह पाता है कि शब्द "समान प्राधिकारी" की व्याख्या की गई है, जिसे पूरी तरह से अलग अर्थ

दिया गया है और इस न्यायालय की राय में, यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने "वैसी ही शक्ति" यह शब्द रखा है, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के विकल्प के रूप में तो उसे उचित अर्थ दिया जाना आवश्यक है।

35. यह न्यायालय तदनुसार पाता है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है और यदि मृतक अंशदाता के दावेदार के अधिकार के बारे में शासकीय परिसमापक को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं, तो प्रत्येक मामले में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का आग्रह नहीं किया जा सकता है। मृतक अंशदाता के विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में बकाया राशि का निपटान करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी क्षतिपूर्ति बांड और उत्तरजीविता प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक और पर्याप्त सुरक्षा हो सकता है।

36. यह न्यायालय तदनुसार पाता है कि शासकीय परिसमापक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या 11017 दिनांक 10.02.2021 में मृतक अंशदाता स्वर्गीय श्री एफ.सी.पाहवा के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि मृतक अंशदाता के विधिक प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी यानी तहसीलदार द्वारा जारी क्षतिपूर्ति बांड और उत्तरजीविता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं तो शासकीय परिसमापक क्षतिपूर्ति बांड और उत्तरजीविता प्रमाणपत्र स्वीकार करके उनके दावे पर विचार कर सकता है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Solanki DS, PS

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।